

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

विधि सं० 23-1 (10) / 2017-18

दिनांक	आदेश फलक	अभिकृति
<p>21/4/18</p> <p>23/4/18</p>	<p>आवेदक श्री बालमुकुन्द यादव पिता भोला यादव सं० - डिगवाडीह, जीडापीखर, जिला धनबाद ने मौजा सावलपुर मौजा नं० 11 खाता नं० 36 प्लॉट नं० 270 रकबा 4.12 डिसमिल भूमि के दाखिल खारिज होकर कायम जमाबंदी सं० 1684 में लगान रसीद निर्गत होता है। परन्तु हुए दाखिल खारिज में लिपकीय भूलवश एक व्यक्ति का नाम अंकित नहीं है जिसे अंकित करने हेतु आवेदन समर्पित किया है। इस संबंध में राजस्व कर्मचारी से जांच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से मांग करें। अभिलेख दिनांक 23/4/18 को रखा।</p> <p align="right">अंचल अधिकारी, धनबाद।</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन समर्पित। जांच प्रतिवेदन के अनुसार मौजा सावलपुर मौजा नं० 11, खाता नं० 36 प्लॉट नं० 270 रकबा 4.12 डिसमिल का भूमि रैयती खाते की है। निबंधित दलील सं० 4905/20.8.016 द्वारा खरीदकर जिसका दाखिल खारिज केश सं० 2125(11) 16-17 द्वारा होकर जमाबंदी सं० 1684 में लगान रसीद निर्गत होता है। परन्तु हुए दाखिल खारिज में लिपकीय भूलवश एक व्यक्ति का नाम बालमुकुन्द यादव का नाम छुट गया है। जिसे अंकित करते हेतु राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने अनुशंसा किया है।</p> <p>अतः हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त निदेश दिया जाता है मौजा सावलपुर मौजा नं० 11, खाता नं० 36 प्लॉट नं० 270 रकबा 4.12 डिसमिल भूमि के हुए दाखिल खारिज में बालमुकुन्द यादव का नाम छुट गया है। उसे अनिता देवी पति श्री बालमुकुन्द यादव के साथ श्री बालमुकुन्द यादव पिता भोला यादव का नाम अंकित करने हेतु निदेश दिया जाता है। तदनुसार हल्का कर्मचारी को सूचित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p align="center">अंचल अधिकारी, धनबाद।</p> <p align="right">अंचल अधिकारी, धनबाद।</p>	

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

ज्ञापांक 1086 दिनांक 8/5/18.

प्रेषित,

श्री अशोक कुमार
राजस्व कर्मचारी, हल्का नं० 11, धनबाद।

आपके जॉच प्रतिवेदन के आधार पर निदेश दिया जाता है मौजा सावलपुर मौजा नं० 11, खाता नं० 36 प्लॉट नं० 270 रकबा 4.12 डिसमिल भूमि के हुए दाखिल खरिज में बालमुकुन्द यादव का नाम छुट गया है। उसे अनिता देवी पति श्री बालमुकुन्द यादव के साथ श्री बालमुकुन्द यादव पिता भोला यादव का नाम अकित करने हेतु निदेश दिया जाता है।


अंचल अधिकारी,

धनबाद।


11/5/18

सेवा में -

अंचल अधिकारी
लखनऊ ।

क्रमा - नं. 100/18

विषय : पंजी 11 में नाम जोड़ने के संबंध में :-

सहायक


उपरोक्त विषय के संबंध में ग्राम सातनपुर डोंडोल 11


एकमात्र 26 फरवरी 2018 को 270 नं. 412/डी/0 ग्राम समी करने की सुविधा है।
हाथों के साथ फलीक सं. 4905 दिनांक 2018/16 के साथ सर्वे में
जमीन है। जिसमें 1) श्रीमति अरुणा देवी पति श्री बालमुकुंद
भादव 2) बालमुकुंद भादव पति श्री लोकाभादव शामिल हैं। किन्तु दाखल
नं. 212/11/16-17 में 1) श्रीमति अरुणा देवी पति श्री बालमुकुंद भादव
पति लोकाभादव पुष्यवंश नोट दिया गया है।

इसमें नाम सुधार करने हेतु 1) अरुणा देवी पति
बालमुकुंद भादव 2) बालमुकुंद भादव पति लोकाभादव किया जा
सकता है। उचित कार्रवाई हेतु अज्ञापित ।

महामय
K.C. प्रतिबंध देवा
अन्य परमाणु पंजी 11
रिज के आपत्ति नहीं है
श्री. बालमुकुंद भादव
हैं निम्न करने हेतु आवेदन
जमावें में संशोधन हेतु नकली है।
कार्यालय में जा नकली है।




20/1/18
C.I.


20/1/18
श. क. यादी
लखनऊ

श्रीमान् - इतिहास परतिकासरी नाम बाप

विषय - नाम जोड़ने संबंधी आवेदन

महाराज -

सेवा में सक्रिय निवेदन यह है कि पति और पत्नी दोनों के नाम से जमीन खरीदा गया, लेकिन कारिगल खारिज में पत्नी का नाम - आभा, और भैया नाम - बालमु कुंद - मादव - चूट - आभा है। पिता ~~बालमु कुंद~~ - पिता का नाम भीला मादव -

कारिगल खारिज = 2125 (11) 16-17

वेले आवेदन के साथ जीड का जोरीकस कापी, बुद्धि पू का जोरीकस कापी और रशीद का जोरीकस कापी इनका मेशान का जोरीकस कापी लगा हुआ है।

अतः श्रीमान् प्रार्थना है कि नाम जोड़ने का आदेश देने का कृपा करें धन्यवाद

आप का निश्चारी
बालमु कुंद - मादव
पिता - भीला मादव

12/01/18
[Signature]

II

17/18
09/01/18